राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 09/2020

निर्णय दिनांक :– 26.02.2021

प्रार्थी :–

खीमाराम पुत्र जसा आयु–वयस्क, जाति–मेणा निवासी–सादडी तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भूराराम पुत्र किसना जाति–मेणा आयु–वयस्क
2. वेनाराम पुत्र किसना जाति–मेणा आयु–वयस्क
   निवासीगण–सादडी तहसील–देसूरी जिला–पाली

(– :वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमः–

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी :–

उपस्थितिः–

1. श्री शेषाराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांक :–26.02.2021**

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम सादडी 2 पटवार हल्का–सादडी चक 2 तहसील–देसूरी जिला–पाली में प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण एव् दीगर सह खातेदारो की सयुक्त खातेदारी एवम् आधिपत्य की आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5186, 5188 कुल [illegible] कुल रकबा 3.2100 हैक्टर कुल लगान रूपये 54.57 विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी आधिपत्य का 3/32 वॉ हिस्सा विद्यमान है एवम् वादग्रस्त आराजियात में दर्ज खातेदार होजी पत्नी जसा प्रार्थी की माता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवम् मृत होजी का विधिक वारिस प्रार्थी ही है, जिसके अलावा इसका अन्य कोई वारिस नही हैं जिससे उक्त वादग्रस्त आराजियात में विद्यमान प्रार्थी का माता मृत होजी की खातेदारी का 1/32 वां हिस्सा कानूनन प्रार्थी में निहित हुआ। इस वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का कुल मिला कर 3/32+1/32=1/8 वां हिस्सा हिस्सा एवम् अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 व 1/8 हिस्सा एवम् अप्रार्थी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा सयुक्त खातेदारी आाधिपत्य का विद्यमान हैं।

यह है कि वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हुआ है। जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी हिस्से की कृषि भूमि में नाजायज दखलन्दाजी करते है एवम् आवाजाही में नाजायज दखल रोक टोक करते है एवम् टण्टा फसाद करते है। जिससे वादग्रस्त आराजी आराजी में प्रार्थी स्वयं का 3/32 वा हिस्सा एवम् अपनी माता मृत होजी पत्नि जसा के नाम दर्ज 1/32 वा हिस्सा कुल मिला कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का 1/8 वा हिस्स घोषित का पृथक बंट करवाना चाहता है, जिसका प्रार्थी को विधिक अधिकार प्राप्त है।

यह है कि मूल वाद के निर्णय में लम्बा समय लगेगा जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी के 1/8 वा हिस्सा की भूमि में प्रार्थी के कब्जा में एवम् आवाजाही में नाजायज दखल, रोक टोक रहे है एवम् अपनी मनमर्जी से अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जोर जबरदस्ती काश्त करने पर आमादा है एवम् बिना विभाजन के भूमि विशेष को अन्यत्र खुर्दबुर्द करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को कानूनन कोई हक अधिकार नही है एवम् यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उसकी खातेदारी हिस्से की भूमि पर काश्त करने में एवम् आवाजाही में रोक टोक करने पर प्रार्थी काश्त से वंचित हो जायेगा एवम् प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवम् प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो से नही की जा सकेगी एवम् अनावश्यक वाद विवाद बढेगे एवम् प्रार्थी को न्याय प्राप्ति से वंचित रह जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है एवम् सुविधा सन्तुलन भी पक्ष में साबित होता है एवम् अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी पर लागु होता है। जिससे उक्त परिस्थितियो में अप्रार्थीगण सह खातेदारो के विरूद्ध प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की भूमि मे प्रार्थी के काश्त एवम् आवाजाही में किसी प्रकार से कोई रोक टोक, बाधा दखल करने से मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना नितांत आवश्यक एवम् न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवम् राजस्व अभिलेख जमाबन्दी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम सादडी–2 में स्थित खसरा नम्बर 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5186, 5188 कुल खसरे–9 कुल रकबा 3.2100 हैक्टर में विद्यमान प्रार्थी की खातेदारी के 1/8 हिस्से की भूमि मे प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग एवम् आवाजाही में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई रोक टोक, बाधा, दखल नही करे, ना ही किसी अन्य से करावे एवम् बिना विभाजन के वादग्रस्त आराजी की कोई भूमि विशेष को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, हस्तान्तरण, डेमेज नही करे एवम् अप्रार्थीगण उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न अपने परिवारजन मजदुरो, एजेन्टो या किसी अन्य से ही करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटीस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न बिन्दुओ पर विचारण किया गया–

प्रथम दृष्टया मामला – वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी स्वयं का 3/32 वा हिस्सा एवम् अपनी माता मृत होजी पत्नि जसा के नाम दर्ज 1/32 वा हिस्सा कुल मिला कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का 1/8 वा हिस्सा विद्यमान है। जिसके अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। किन्तु कानूनन बंटवाडा नही होने के कारण अप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त करने तथा जमीन को खुर्दबुर्द करने हेतु आमादा है।

न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य अधिकार अभिलेख जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण सहखातेदार है। अतः सहखातेदार होने के सभी पक्षकारो का उक्त वादग्रस्त आराजी में समान हक अधिकार निहित है [illegible] काश्त की भूमि पर दखलन्दाजी, आवागमन तथा अन्य को हस्तान्तरण करने [illegible] मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है, परन्तु [illegible] साक्ष्य पेश नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

किये गये है जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रार्थी के कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी मे कहाँ पर तथा किस ओर है तथा प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य आपसी समझाते से हुए बंटवाडा का उल्लेख कही नही किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया में यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण सयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा सन्तुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का सन्तुलन पर विचार किया गया। प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है अतः सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर बराबर हक अधिकार है। अस्थाई निषेधाज्ञा यदि प्रार्थी के पक्ष में जारी कि जाती है तो अप्रार्थीगण को भी उतनी ही असुविधा होगी जितनी प्रार्थी को होगी। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के बंट की कृषि भूमि पर नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवम् अप्रार्थीगण जमीन को अन्यत्र किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो को कुठाराघात होगा एवम् अनावश्यक वाद विवाद बढेगा। अप्रार्थीगण के इस कृत्य से प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी।

अपूरणीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। सहखातेदार के मध्य हुए बंटवाडे के संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया गया तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण के अलावा ओर भी पक्षकार हैं। अतिरिक्त पक्षकारो से विरूद्ध प्रार्थी ने किसी भी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है तथा ना ही अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाया है।जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो सभी पक्षकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में मौके पर कब्जे की स्थिति में संबंध मे स्पष्ट नही होने से न्यायालय के मत में वादग्रस्त आराजी पर प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारो का सम्मान हक अधिकार है। जिससे सहखातेदारो के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की सकती है। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव

पेज लगातार 05 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एम.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश

प्रार्थीगण का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested